1. ***संक्षिप्त नाम.–*** इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 है।

2. ***परिभाषाएं.–***(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, परन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

[1]{3. ***पदों की संख्या और उनके वेतनमान.–***(1ऐसी ग्राम पंचायत, जहॉ पहले से ही एक पंचायत सचिव नियुक्त है, को अपवर्जित करते हुए (छोड़कर) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का एक पद होगा :

परन्तु ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहले से ही पंचायत सचिव नियुक्त किया गया है में भी बढ़े हुए कार्यभार को ध्यान में रखते हुए पंचायत सहायक की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) आरक्षण रोस्टर, जैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के मामले में लागू होता है, को पंचायत सहायकों के काडर में व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों को आरक्षण प्रदान करने हेतु पंचायत समिति स्तर पर लागू किया जाएगा।

(3) पंचायत सहायक सम्बद्ध पंचायत समिति के कर्मचारी होंगे, और उनकी सेवाएं, पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर, एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में अंतरणीय होंगी तथा पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, ऐसे स्थानांतरण आदेश को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(4) पंचायत सहायक को, ऐसी दरों पर पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं। पंचायत सहायकों को मासिक पारिश्रमिक, इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए सहायता अनुदान में से, सम्बद्ध पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, संवितरित किया जाएगा :

---

[1] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित ।

परन्तु पंचायत सहायक का मासिक पारिश्रमिक, सम्बद्ध ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान से उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवितरित किया जाएगा। }

4. ***अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.–*** पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या इसके समकक्ष अर्हता अवश्य रखता हों।

5. ***आयु और अन्य पात्रता शर्तें.–*** पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति किया जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि वह,–

**(क)** वर्ष की प्रथम जनवरी को, जिसमें वह पद के लिए आवेदन करता है, 18 से 45 वर्ष की आयु का है ;

(ख) सम्बद्ध जिला का स्थायी निवासी हो ;

(ग) स्वस्थचित और अच्छे स्वास्थ्य का हो ;

(घ) लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित न हुआ हो या अनुशासनिक आधारों पर लोक सेवा से हटाया न गया हो या उसने किसी स्वैच्छया निवृत्ति स्कीम के अधीन स्वेच्छा निवृत्ति न ली हो ;

(ङ) नैतिक अधमता में अर्न्तवलित किसी अपराध में दोषसिद्ध न हुआ हो ; और

(च) उसके नाम राज्य सरकार या ग्राम पंचायत को संदेय कोई परादेय देय (शोध्य) न हो।

6. ***आवेदन आमन्त्रित करने और चयन के लिए प्रक्रिया.–***(1) सम्बद्ध पंचायत समिति, अपने कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से, व्यापक प्रचार करते हुए, खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर और पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर, ग्राम पंचायतों, पटवार खाने, महिला मण्डल भवन, युवक मण्डल भवन, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी सूचना प्रदर्शित करते हुए [2]{या किसी अन्य रीति से आवेदन आमंत्रित करेगी।

---

[2] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित ।

इसके अतिरिक्त, समुचित नियोजनालय के माध्यम से भी रिक्तियां अधिसूचित की जाएंगी।} आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की न्यूनतम अवधि दी जाएगी और आवेदन पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन को पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सटाम्पित रसीद सहित अभिस्वीकृत किया जाएगा :

[3]{परन्तु भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या, और नियम 3 के उप–नियम (2) में वर्णित रोस्टर के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के बारे में ब्योरे, आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए दी गई सूचना में, दिए जाएंगे।}

(2) आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के ठीक पश्चात्, सम्बद्ध पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, पंचायत सहायकों के साक्षात्कार संचालित करने के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा। कार्यकारी अधिकारी, चयन समिति के सदस्यों के साथ–साथ आवेदकों को भी साक्षात्कार के लिए नियत की गई समय अनुसूची की सूचना देते हुए, एक सूचना (नोटिस) जारी करेगाः

परन्तु नोटिस जारी करने की तारीख और साक्षात्कार की तारीख के बीच न्यूनतम दस दिन की अवधि का अन्तर रहेगा ।

(3) साक्षात्कार निम्नलिखित चयन समिति द्वारा संचालित किया जाएगाः–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सम्बद्ध उप–मण्डल का उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) | : अध्यक्ष |
| (ii) | पंचायत समिति का अध्यक्ष | : सदस्य |
| (iii) | पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी | : सदस्य सचिव |

(4) चयन समिति, प्रमाण पत्रों को उनके मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापित करेगी।

(5) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदनों सहित दी गई सूचना के आधार पर, इसमें नीचे दिए गए मापदण्ड का अनुसरण करते हुए, एक ऑकड़ा सूची का संकलन करेगा, और उक्त आंकड़ों को संकलित करने का कार्य साक्षात्कार की तारीख से

---

[3] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित ।

पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह आंकड़े (डाटा), चयन समिति को अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार की तारीख पर लाए गए मूल अभिलेख के साथ साक्षात्कार की तारीख पर, इसके सत्यापन के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता (परफारमैन्स) के आधार पर पूर्णतया गुणागुण आधार पर एक सौ अंकों में से किया जाएगा जोकि निम्नलिखित रीति में विभाजित किए जाएंगे, अर्थात् :–

[4]{ **(क) शैक्षणिक अहर्ताएं**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) दस जमा दो(10+2) में अंको की प्रतिशतता को 2 द्वारा विभाजित करके। | : | अधिकतम अंकों तक | 50 |
| (ii) बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0 कॉम, सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा, में अंको की प्रतिशतता को 6.66 द्वारा विभाजित करके। | : | अधिकतम अंकों तक | 15 |
| (iii) अभ्यर्थी जिसके पास वाणिज्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, में स्नात्तकोत्तर डिग्री हो, एम0सी0ए0, एम0बी0ए0, एम0 कॉम, किसी भी विषय में बी0ई0/बी0टैक हो, के मामले में अंक। | : | 5 अंक } | |
| [5]{ **(ख) अनुभव** (किसी पंचायती राज संस्था सरकारी कार्यालय/ अर्धसरकारी उपक्रम/संस्था/अभिकरण (ऐजेन्सी) में लिपिकीय हैसियत से सुसंगत कार्य करने के प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए, एक अंक प्रदान किया जाएगा)। | : | अधिकतम 5 अंकों तक} | |
| **(ग)** निजी साक्षात्कार | : | अधिकतम अंकों तक | 15 |
| **(घ)** अभ्यर्थी का सम्बद्ध पंचायत समिति का निवासी होने की दशा में। | : | 5 अंक | |

---

[4] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित ।

[5] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित ।

[6]{(ङ) (i) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम छः मास का कोर्स किया हो। : 3 अंक
(ii) अभ्यर्थी जिसने कम्पयूटर में न्यूनतम एक वर्ष का कोर्स किया हो। : 5 अंक}

(6) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी [7]{ नियम 3 के उप–नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन}, पंचायत सहायकों की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गुणागुण के क्रम में अभ्यर्थियों का एक पैनल बनाएगा। अभ्यर्थी जो पैनल में प्रथम स्थान पर हैं, को पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाएगा। पंचायत सहायकों की अपेक्षित संख्या के चयन के पश्चात्, अभ्यर्थियों की उनके गुणागुण के क्रम में रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी और ऐसी प्रतीक्षा सूची उस कैलेण्डर वर्ष के लिए, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, विधिमान्य होगी।

7. ***प्रशिक्षण और परीक्षा.–*** (1) चयनित अभ्यर्थियों को ऐसी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए। प्रशिक्षण का उपबन्ध, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान या जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों या ऐसे संस्थानों में किया जाएगा जो सरकार द्वारा अवधारित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के कार्यालयों में प्रशिक्षण के अर्न्तगत थ्योरी के साथ–साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण कोर्स के अन्त में अभ्यर्थियों को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित लिखित परीक्षा देनी होगी और जो अभ्यर्थी कुल अंकों का न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें पंचायत सहायक के रूप में पंचायत समिति की सेवाओं से हटा दिया जाएगा तथा ऐसी रिक्ति को नियम 6 के उप–नियम (6) के अधीन तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से आगामी अभ्यर्थी को नियुक्ति देकर भरा जाएगा।

---

[6] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित जिससे भाग (ङ), (च), (छ) और (ज) का लोप और भाग (झ) को भाग (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित करके संशोधित किया गया ।

[7] अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)11/2010–45308 दिनांक 26.3.2011 को अधिसूचित और राजपत्र के पृष्ट सख्या 10568–10572 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2011 द्वारा संशोधित ।

8. ***नियुक्ति के लिए निबन्धन और शर्तें***– (1) पंचायत सहायक के पद पर नियुक्ति, पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसकी गणना पद भार ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी। सम्बद्ध पंचायत समिति, नियुक्ति प्राधिकारी होगी और नियुक्ति पत्र प्ररूप–1 में र्कायकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पंचायत सहायक नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट करेगा :

परन्तु पंचायत सहायक की संविदा, उनके कर्तव्यों के संतोषजनक पालन के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर, वर्षानुवर्ष आधार पर नवीकृत की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति के समय पर पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत का आबंटन करेगा :

परन्तु यह और कि पंचायत सहायक को उस ग्राम पंचायत का आबंटन नहीं किया जाएगा जिसका वह सभा सदस्य है:

परन्तु यह और कि इन नियमों से पूर्व नियुक्त पंचायत सहायकों को उन ग्राम पंचायतों से, जिनके वह सभा सदस्य हैं, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, अन्य ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाएगा।

(2) पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी, प्ररूप–2 में पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के साथ, संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि पंचायत समिति, नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं से सन्तुष्ट नहीं है या, यथास्थिति, जहां नियुक्त व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं कर रहा हो या भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, निधियों का दुरूपयोग कर रहा हो या दाण्डिक अपराध में संलिप्त हो या उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा हो, तो पंचायत समिति यदि उचित समझे, तो एक महीने के पूर्व नोटिस पर पंचायत सहायक को निकालने/हटाने के लिए कार्यवाहियॉ प्रारम्भ कर सकेगी:

परन्तु पंचायत सहायक को निकालने/हटाने के मामले को पंचायत समिति के समक्ष कारण बताओ नोटिस के उसके उत्तर सहित, यदि कोई हो, पचांयत समिति के विचार और विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। पंचायत सहायक की सेवा को समाप्त (पर्यवसित) कर दिया

जाएगा यदि पंचायत समिति अपने कुल निर्वाचित सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा इस निमित्त संकल्प पारित कर देती है।

(4) पंचायत सहायक को, सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देने के पश्चात्, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि उसे आबंटित ग्राम पंचायत दो–तिहाई बहुमत से उसको हटाने के लिए ऐसे आधारों पर संकल्प पारित करती है कि वह उस ग्राम पंचायत में अपने कर्तव्यों का पालन उचित प्रकार से नहीं कर रहा है।

(5) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग की जानकारी (नोटिस) में यह आता है कि पंचायत सहायक द्वारा निधियों का घोर दुरूपयोग या गबन किया गया है या वह अपने कर्तव्यों में अवचार का दोषी पाया गया है या पंचायत समिति या उपरोक्त विभागों के किसी प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में विफल रहा हो और उसका ग्राम पंचायत के कार्यालय में बने रहना अवांछनीय हो और पंचायत समिति उसकी संविदा समाप्ति द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त करने में विफल रहती है तो उस दशा में निदेशक, पंचायती राज सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को ऐसे पंचायत सहायक के विरूद्ध जांच संचालित करने का निदेश दे सकेगा और जिला पंचायत अधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर, अभिलेख की तात्विक संवीक्षा करने और अपनी सहमति के पश्चात् सम्बद्ध पंचायत सहायक की संविदा को समाप्त करने के लिए आदेश जारी कर सकेगाः

परन्तु जांच के दौरान अपचारी पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत का समस्त अभिलेख, वस्तुओं और धन को उप–नियम (3) या उप–नियम (4) के अधीन, यथास्थिति, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी के आदेश तक, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा यथा निदेशित किसी अन्य पंचायत सहायक या ग्राम पंचायत के सचिव को सौंप देगा।

9. ***अपील.***– नियम 8 के उप–नियम(3) से (5) के उपबन्धों के अधीन हटाया गया/पर्यवसित पंचायत सहायक, यथास्थिति, पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी या जिला पंचायत

अधिकारी के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, सम्बद्ध जिला के उपायुक्त को अपील प्रस्तुत कर सकेगा। उपायुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

10. ***पंचायत सहायक की कार्य सारणी.–*** पंचायत सहायक, निम्नलिखित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(i) ग्राम पंचायत के लेखों का अनुरक्षण ;

(ii) परिवार रजिस्टर/विवाह रजिस्टर इत्यादि सहित पंचायत अभिलेख का अनुरक्षण ;

(iii) जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण ;

(iv) आवेदकों को प्रतियां जारी करना ;

(v) ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन करना और उनकी कार्यवाहियों को अभिलिखित करना तथा कार्यवाहियों की प्रतियां, यथास्थिति, सम्बद्ध व्यक्ति या प्राधिकरण को भेजना;

(vi) मतदाता सूचियां तैयार करने में सहायता ;

(vii) ग्राम पंचायत के देयों (शोध्य) की वसूली ;

(viii) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का पर्यवेक्षण ;

(ix) जन साधारण की शिकायतों को देखना ;

(x) राशन कार्ड जारी करना ;

(xi) समन जारी करना ;

(xii) ग्राम पंचायत की परिसम्पतियों (आस्तियों) और सम्पत्ति की देखरेख करना ; और

(xiii) यथास्थिति, राज्य सरकार के प्राधिकारियों या ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर उसे सौंपे गए कोई अन्य कार्य (कर्तव्य)।

11. ***कार्य समय .–*** पंचायत सहायक पूर्णकालिक कार्यकर्ता (कर्मकार) होगा। नियम 12 के उपबन्धों के अध्यधीन पंचायत सहायक के कार्य के घण्टे प्रति दिन 10 बजे (पूर्वाहन्) से 5 बजे (अपरान्ह) तक होंगे और वह प्रत्येक कार्य दिवस को अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित उपस्थिति रजिस्टर में अंकित करेगा। उपस्थिति रजिस्टर को प्रधान या प्रधान की अनुपस्थिति में, उप–प्रधान द्वारा सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगाः

परन्तु, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान, प्रत्येक मास की समाप्ति पर उपस्थिति का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

12. ***यात्रा और दैनिक भत्ते का संदाय .–*** पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत के कार्य कलापों के सम्बंध में उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए, राज्य सरकार के वर्ग–VI के कर्मचारियों को अनुज्ञेय यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होगा, जिसका पदक्रम (ग्रेडेशन) हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते इत्यादि के संदाय की बाबत एफ.आर.एस.आर. के अनुपूरक नियम–17 के प्रयोजनों के लिए किया गया है। यात्रा और दैनिक भत्ते हेतु व्यय का संदाय, सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा, यथास्थिति, इसकी अपनी निधियों में से या इस प्रयोजन के लिए उपबन्धित सहायता अनुदान में से किया जाएगा।

13. ***अवकाश .–*** (1) पंचायत सहायक, कलेण्डर वर्ष में, राज्य सरकार द्वारा समय– समय पर अधिसूचित अन्य राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त, बारह दिन के आकस्मिक अवकाश और दो दिन के वैकल्पिक अवकाश के उपभोग के लिए हकदार होगा ।

(2) यदि पंचायत सहायक महिला है जिसके दो या दो से कम जीवित बच्चे हैं, तो वह अधिकतम बारह सप्ताह की प्रसूति छुट्टी व्यतीत करने की हकदार होगी।

(3) ग्राम पंचायत का प्रधान, पंचायत सहायक की छुट्टियां मन्जूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

14. ***चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित विवाद.–*** चयन से सम्बन्धित किसी विवाद की दशा में, व्यथित व्यक्ति, नियम 6 के उप–नियम (6) के अधीन पैनल बनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा। उस पर उपायुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा।

15. ***कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.–***यदि इन नियमों के किसी भी उपबन्ध के निर्वचन या कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो विषय (मामले) को, राज्य सरकार के स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा जो ऐसे आदेश जारी करके, जो अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होगी।

16. ***निरसन एवं व्यावृत्तियां.***—(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2005, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को और से निरस्त हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

प्ररूप —1

(नियम 8 (1) देखें )

नियुक्ति पत्र

पंचायत सहायक के पद के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी ............ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ...................... निवासी गांव .......डाकघर ............. तहसील .........जिला .................. से प्राप्त आवेदन के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ................ का उक्त पद के लिए चयन कर लिया गया है। इसलिए उसे एतद् द्वारा, ग्राम पंचायत ................. के लिए पंचायत सहायक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव (ऑफर) निम्नलिखित शर्त और निबन्धनों पर दिया जाता है, अर्थात् :—

1. यह कि उसे ............ रूपए(अंको में) ......... (शब्दों में) प्रतिमास पारिश्रमिक संदत किया जाएगा ;
2. यह कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय—समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य भत्ते, उसे संदेय नहीं होंगे ;
3. यह कि नियुक्ति, कार्यग्रहण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर होगी ;
4. यह कि नियुक्ति आगे भी, नियमों और संविदा में अधिकथित निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन होगी ;
5. यह कि उसके द्वारा कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय ग्राम पंचायत के समाधान के लिए पूर्ववृत सत्यापन प्रमाण पत्र, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट या दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जो उसे कम से कम पिछले तीन वर्ष से जानते हों;
6. यह कि पद पर कार्यग्रहण से पूर्व नियुक्ति, सम्बद्ध जिला के मुख्यचिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता के चिकित्सीय प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन होगी ; और
7. यथास्थिति, शैक्षणिक अर्हताएं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक निःशक्तता, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सदस्य या पूर्व अनुभव के सम्बन्ध में मूल प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करनी होंगी।

यदि उक्त निबन्धन और शर्तें उसे मन्जूर हों, तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में संविदा करार के निष्पादन के साथ साथ कार्यग्रहण के लिए तुरन्त रिपोर्ट करे। परन्तु इस

नियुक्ति पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

स्थान.......................... कार्यकारी अधिकारी,

तारीख......................... पंचायत समिति.....................

जिला..................................

हिमाचल प्रदेश।

श्री / श्रीमती / कुमारी............................

प्ररूप–2

(नियम 8(2) देखें)

करार

यह करार आज तारीख ............... (मास) ........... (वर्ष) ................ को श्री / श्रीमती / कुमारी .... ................ पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री .......... निवासी गांव ...................तहसील .......... जिला ......... हिमाचल प्रदेश के बीच, जो पंचायत समिति .............. में पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और पंचायत समिति ..... ......... , के बीच इसके कार्यकारी अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से किया गया ;

यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को, पक्षकारों के बीच एतद् द्वारा करार पाए गए निबन्धन और शर्तों पर पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त करता है, अर्थातः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के पास आज वर्ष ............. के .........मास के ........... .......... दिन को पंचायत सहायक के रूप में संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा और यह विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार के नियोजन का करार तारीख ................... को स्वयं ही समाप्त (पर्यवसित) हो जाएगा। और द्वितीय पक्षकार द्वारा इस बारे में कोई औपचारिक सूचना(नोटिस) / आदेश देना अनिवार्य नहीं होगा।
2. यह कि प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार और अधिकारियों और प्राधिकारियों जिनके अधीन वह ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर रखा जा सकेगा, के आदेशों पर स्वयं को प्रस्तुत करेगा और ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों और निदेशों का पालन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जोकि उसे सौंपे जाएं।
3. यह कि प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार की उसके समाधानपद रूप में दक्षतापूर्ण सेवा करेगा और वह द्वितीय पक्षकार की सेवा में कार्य करने के लिए सम्पूर्ण समय निरत रहेगा। और स्वयं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपनी ओर से किसी व्यापार या कारबार या उपजीविका में बचनबध नहीं करेगा और वह, (सिवाए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दुर्घटना या बिमारी की दशा में) द्वितीय पक्षकार की ओर से प्रथमतः प्रधान, ग्राम पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अपने कार्य (कर्तव्यों) पर अनुपस्थित नहीं रहेगा।

प्रथम पक्षकार, प्राधिकृत चिकित्सा अवकाश के सिवाए अनुपस्थिति की अवधि के लिए पारिश्रमिक और भत्तों का हकदार नहीं होगा।

4. प्रथम पक्षकार की सेवाएं निम्न प्रकार से समाप्त हो जाएगी, अर्थात् :–

(i) संविदात्मक अवधि की समाप्ति पर ;

(ii) द्वितीय पक्षकार द्वारा बिना पूर्व सूचना के, यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्षकार बीमारी के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में अनुपयुक्त है और पर्याप्त अवधि के लिए उसके अनुपयुक्त रहने की सम्भावना है। द्वितीय पक्षकार का यह निर्णय कि प्रथम पक्षकार के अनुपयुक्त होने की सम्भावना आगे भी है प्रथम पक्षकार के लिए पूर्णतया बाध्यकर होगा ;

(iii) द्वितीय पक्षकार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना (नोटिस) के, यदि प्रथम पक्षकार, यथास्थिति, अवज्ञा असंयम या नैतिक अद्यमता या अन्य दुर्व्यवहार या इस करार या नियमों के किन्ही उपबन्धों के किसी भंग या अपालन में प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए ; और

(iv) द्वितीय पक्षकार की ओर से, बिना कारण बताए चाहे जो भी हो, पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस करार के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय एक मास का लिखित नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक मास के पारिश्रमिक के संदाय पर।

5. यह कि प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार की सेवा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2008 के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

6. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा यह विनिर्दिष्ट रूप से तय पाया है कि सेवा के अनुक्रम में इस करार के अधीन उसे अपनी सेवा के नियमितिकरण के लिए दावा करने का कोई अधिकारी नहीं होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप प्रथम पक्षकार और प्रतिभुओं ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और द्वितीय पक्षकार ने कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से द्वितीय पक्षकार के लिए और की ओर से हस्ताक्षर कर दिए हैं।

प्रथम पक्षकार द्वारा निम्नलिखित ..........................

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया: (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

प्रथम साक्षी : ..........................

पता.......................... (प्रतिभू के हस्ताक्षर)

उपजिविका....................

द्वितीय साक्षी: ..........................

पता.......................... (प्रतिभू के हस्ताक्षर)

उपजिविका...................

द्वितीय पक्षकार द्वारा निम्नलिखित ..........................

की उपस्थिति में हस्ताक्षरित कियाः (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

प्रथम साक्षीः

पता............................. उपजिविका......................

द्वितीय साक्षीः

पता............................ उपजिविका.....................

1. ***Short title.-*** These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Rules, 2008.

2. ***Definitions.-*** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.
(b) "Form" means a form appended to these rules.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

[8]{3. ***Number of posts and their scales of pay.*** (1) There shall be one post of Panchayat Sahayak in every Gram Panchayat excluding such Gram Panchayat where there is already appointed a Panchayat Secretary:

Provided that the Panchayat Sahayak may be appointed in such Gram Panchayat also where there is already appointed a Panchayat Secretary, in view of the increased workload.

(2) The reservation roster, as is applicable in the case of direct recruitment of the employees of the State Government, shall be applied at the Panchayat Samiti level for providing reservation to various categories of persons in the cadre of Panchayat Sahayaks.

(3) The Panchayat Sahayaks shall be the employees of the Panchayat Samiti concerned and their services shall be transferable, from one Gram Panchayat to another, within the area of the Panchayat Samiti and the Executive Officer Panchayat Samiti shall be the competent authority to issue such transfer orders.

(4) The Panchayat Sahayak shall be paid remuneration at such rates as may be notified by the State Government from time to time. The monthly remuneration shall be disbursed to the Panchayat Sahayaks through the Executive Officer of the Panchayat Samiti concerned out of the Grant-in-Aid provided by the State Government for this purpose:

Provided that the monthly remuneration to the Panchayat Sahayak will be disbursed only after obtaining certificate of attendance from the Pradhan or Up-Pradhan, as the case may be, of the concerned Gram Panchayat.}

---

[8] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572).

4. ***Minimum educational qualifications required .-*** The candidate to be appointed as Panchayat Sahayak must possess minimum educational qualification of Ten plus Two, or its equivalent, from Board of School Education recognized by the Himachal Pradesh Government.

5. ***Age and other eligibility conditions.-*** A person to be appointed as Panchayat Sahayak shall be eligible, if,-

(a) his age as on 1st January of the year in which he applies for the post is between 18 and 45 years;

(b) he is a bonafide resident of the concerned district;

(c) he is of sound mind and good health;

(d) he has not been disqualified for appointment in public service or removed from public service on disciplinary grounds or has sought voluntary retirement under any Voluntary Retirement Scheme;

(e) he has not been convicted of any offence involving moral turpitude; and

(f) he has not any outstanding dues payable to the State Government or the Gram Panchayat.

6. ***Inviting of applications and procedure for selection.-*** (1) The Panchayat Samiti concerned, through its Executive Officer, shall invite the applications by making wide publicity by displaying a notice on the notice board of the office of the Block Development Officer and also on the notice boards of the offices of the Gram Panchayats, Patwar Khana, Mahila Mandal Bhawan, Yuvak Mandal Bhawan, Community Center etc. within the Panchayat Samiti area [9]{or by any other mode. In addition, the vacancies shall also be notified through the appropriate Employment Exchange.} A minimum period of 15 days shall be given for inviting applications from the date of notice and the applications shall be received by the Executive Officer of the Panchayat Samiti. The application shall be acknowledged with receipt duly signed and stamped by the Executive Officer of Panchayat Samiti:

---

[9] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572).

[10]{ Provided that the details regarding total number of vacancies to be filled and number of vacancies reserved for various categories of persons as per roster mentioned in sub-rule(2) of rule 3 shall be given in the notice for inviting applications.}

(2) Immediately after the expiry of the period specified for inviting of applications, the Executive Officer of the Panchayat Samiti concerned shall fix the date, time and place for conduct of interview of Panchayat Sahayaks. The Executive Officer shall issue a notice, intimating the time schedule fixed for interview, to the members of the selection committee and as well as to the applicants:

Provided that there shall be a minimum period of ten days between the date of interview and date of issue of notice.

(3) Interview will be conducted by the following selection Committee:-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Sub Divisional Officer (Civil) of the concerned Sub-Division. | : Chairman |
| (ii) | Chairman of Panchayat Samiti. | : Member |
| (iii) | Executive Officer of Panchayat Samiti. | : Member Secretary |

(4) The selection committee shall verify the certificates with their originals.

(5) The Executive Officer of Panchayat Samiti, on the basis of the information supplied by the candidates alongwith their applications shall compile a data list by following the criteria given hereunder and the exercise of compilation of said data shall be completed before the date of interview. He shall ensure that this data is provided to the selection committee on the date of interview for verification of the same with the original record brought by the candidates on the date of interview. The selection shall be made on the basis of the performance of the candidates purely on merit basis out of the total one hundred marks which shall be divided in the following manner:-

[10] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572).

[11]{**(A) Educational Qualifications**

| | | |
|---|---|---|
| (i) Percentage of marks in Ten plus Two (10+2) divided by 2. | : | to the maximum of 50 marks |
| (ii) Percentage of marks in BBA, BCA, BA, BSC, B-Com, Diploma in Civil Engineering divided by 6.66. | : | to the maximum of 15 marks |
| (iii) Marks in case of candidate having Master degree in Commerce, Science, Economics, Mathematics, MCA, MBA, M-Com, BE/B-Tech. in any subject. | : | 5 marks} |
| [12]{**(B) Experience (**One mark shall be awarded for every one year of experience in relevant nature of duties in any Panchayati Raj Institution/Government Office/Semi-Government Institution/ Government undertaking in a clerical capacity). | : | to the maximum of 5 marks} |
| (C) Personal Interview | : | to the maximum of 15 marks |
| (D) In case the candidate is resident of the concerned Panchayat Samiti. | : | 5 Marks |
| [13]{(E) (i) in case candidate has done minimum six months diploma in computer. | : | 3 Marks |
| (ii) in case candidate has done minimum one year diploma in computer. | : | 5 Marks} |

(6) [14]{Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 3, the Executive Officer} of the Panchayat Samiti shall draw a panel of the candidates in the order of merit and in view of the number of vacancies of Panchayat Sahayaks, the candidates who are first on the panel shall be selected for appointment to the posts of Panchayat Sahayaks. After the selection of the required number of Panchayat Sahayaks, a waiting list of the candidates, in the

[11] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572).

[12] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572).

[13] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572) vide which Parts (E), (F), (G) and (H) have been deleted and Part (I) has been renumbered and substituted as Part (E).

[14] Amended vide the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks) Amendment Rules, 2011 notification No.PCH-HA (1) 11/ 2010, dated 26-3-2011and published in Rajptra on 30-3-2011 (Page No.10568-10572).

order of their merit, shall also be prepared for filling up of vacancies and such waiting list shall be valid for the calendar year in which selection of candidates has been done.

7. ***Training and examination.-*** (1) The Selected candidates shall be provided training of such duration, as may be notified by the Government from time to time. The training shall be provided at the Panchayati Raj Training Institutes or at the District level training camps or at such institutes as may be determined by the Government. The training shall include theory as well as practical training in the offices of the Gram Panchayats.

(2) At the end of the training course the candidates may have to undergo a written examination conducted by the Panchayati Raj Department and the candidates not securing minimum of fifty per centum of the total marks shall be removed from the services of the Panchayat Samiti as Panchayat Sahayaks and such vacancy shall be filled up by giving appointment to the next candidate from waiting list prepared under sub-rule (6) of rule 6.

8. ***Terms and conditions for appointment.-*** (1) The appointment to the post of Panchayat Sahayak shall be purely on contract basis for a period of one year which shall be reckoned from the date of joining. The Panchayat Samiti concerned shall be the appointing authority and the appointment letter shall be issued by the Executive Officer of Panchayat Samiti in Form-1. The Panchayat Sahayak shall report for duty within 15 days from the date of receipt of appointment letter:

Provided that the contract of Panchayat Sahayak may be renewed on year to year basis as deemed fit by the appointing authority depending upon satisfactory performance of his duties:

Provided further that the Executive Officer of Panchayat Samiti shall allot the Gram Panchayat to Panchayat Sahayak at the time of appointment:

Provided further that the Panchayat Sahayak shall not be allotted the Gram Panchayat of which he is a Sabha member:

Provided further that the Panchayat Sahayaks appointed prior to these rules shall be transferred from those Gram Panchayats, of which they are the Sabha members, to another Gram Panchayats within a period of six months from the date of coming into force of these rules.

(2) The Executive Officer of Panchayat Samiti shall sign the contract agreement with the person to be appointed as the Panchayat Sahayak in Form-2.

(3) The Panchayat Samiti, if it deems proper, may initiate proceedings for disengagement/removal of the Panchayat Sahayak by giving him a show cause notice of one month, if the Panchayat Samiti is not satisfied with the services of the appointee or in case the appointee is not maintaining proper discipline or has indulged in corruption, misutilization of funds or has committed a criminal offence or fails to perform the duties assigned to him or he has been guilty of misconduct in the discharge of his duties, as the case may be:

Provided that the matter for his disengagements/removal will be placed before the Panchayat Samiti along with his reply, if any, of the show cause notice, for consideration and decision of the Panchayat Samiti. The service of Panchayat Sahayak will be terminated, if the Panchayat Samiti passes a resolution in this behalf by a majority of two-third of its total elected members.

(4) The Panchayat Sahayak may be removed by the Executive Officer of Panchayat Samiti after giving him opportunity of being heard, if Gram Panchayat allotted to him passes a resolution with two-third majority for his removal on the grounds that he is not performing his duties properly in such Gram Panchayat.

(5) Notwithstanding anything contained in these rules, if it comes to the notice of the Rural Development or Panchayat Raj Department that there has been gross misutilization or embezzlement of funds by the Panchayat Sahayak or he has been guilty of misconduct in the discharge of his duties or has failed to perform the duties assigned to him by the Panchayat Samiti or any authority of the above departments and in pursuance thereof his continuance in the office of the Gram Panchayat is undesirable and the Panchayat Samiti fails to disengage his services by terminating his contract, in that event the Director of Panchayati Raj may direct the District Panchayat Officer concerned or any other officer to conduct an inquiry against such Panchayat Sahayak and the District Panchayat Officer on the basis of inquiry report, after scrutinizing the material on record and satisfying himself may issue the order for termination of contract of the Panchayat Sahayak concerned:

Provided that during the course of enquiry, the delinquent Panchayat Sahayak shall hand over all records, articles and money of the Gram Panchayat to another Panchayat Sahayak or the Secretary of Gram Panchayat, as directed by the Executive Officer Panchayat Samiti till the order of the Executive Officer Panchayat Samiti or District Panchayat Officer under sub-rule (3) or sub-rule (4), as the case may be.

9. ***Appeal.-*** The Panchayat Sahayak removed/terminated under the provisions of sub-rules (3) to (5) of rule 8 may prefer an appeal to the Deputy Commissioner of the concerned district within a period of 30 days from the date of order of the Executive Officer Panchayat Samiti or District Panchayat Officer, as the case may be. The decision of the Deputy Commissioner shall be final.

10. ***Job Chart of Panchayat Sahayak.-*** The Panchayat Sahayak shall perform following duties and responsibilities, namely:-

(i) maintenance of accounts of Gram Panchayat ;

(ii) maintenance of Panchayat record including Pariwar Register/Marriage Register etc. ;

(iii) registration of Births and Deaths ;

(iv) issue of copies to applicants ;

(v) conduct Gram Panchayat and Gram Sabha meetings and to record proceedings thereof and to send the copies of the proceedings to the concerned person or authority, as the case may be ;

(vi) assist in preparation of voter lists ;

(vii) collection of dues of Gram Panchayat ;

(viii) supervision of works executed by Gram Panchayat ;

(ix) to attend grievances of public ;

(x) issue ration cards ;

(xi) issue summons ;

(xii) look after the assets and property of the Gram Panchayat ; and

(xiii) any other duties assigned to him by the authorities of the State Government or by the Gram Panchayat from time to time, as the case may be.

11. ***Working hours.-*** The Panchayat Sahayak shall be the whole time worker. Subject to the provisions of rule 12 the duty hours of Panchayat Sahayak shall be from 10.00 A.M. to 5.00 P.M. daily and he shall mark his presence in the attendance register maintained by the Gram Panchayat on each working day. The attendance register shall be verified and countersigned by the Pradhan or the Up-Pradhan:

Provided that the Pradhan or the Up Pradhan, as the case may be, at the close of each month will issue a certificate of attendance.

12. ***Payment of Travel and Daily Allowance.-*** The Panchayat Sahayaks shall be entitled to travelling and daily allowances for journeys performed by him in connection with the affairs of Gram Panchayat as admissible to Grade-VI servants of the State Government, gradation of which has been made for the purposes of Supplementary Rule 17 of FRSR in respect of payment of traveling/daily allowance etc. to the State Government employees in Himachal Pradesh. The expenditure on account of payment towards travelling and daily allowances shall be borne by the Gram Panchayat concerned out of its own funds, or Grant-in-Aid provided for this purpose, as the case may be.

13. ***Leave.-*** (1) The Panchayat Sahayak shall be entitled for availing twelve days casual leave and two days restricted leave in a calendar year besides the other Gazetted holidays notified by the State Government from time to time.

(2) If the Panchayat Sahayak is a woman, she shall also be entitled to avail maximum of twelve weeks maternity leave with two or less than two surviving children.

(3) The Pradhan of Gram Panchayat shall be the competent authority for sanctioning the leave to the Panchayat Sahayak.

14. ***Dispute relating to selection procedure.-*** In the event of any dispute relating to selection, the person aggrieved may file an appeal before the Deputy Commissioner concerned within thirty days from the date of drawal of panel under sub-rule (6) of rule 6. The decision of the Deputy Commissioner thereon shall be final.

15. ***Power to remove difficulties.-*** If any difficulty arises in the interpretation or implementation of any of the provisions of these rules, the matter may be referred to the State Government for clarification and guidance, who will be competent, to do anything to remove such difficulty by issuing an order not inconsistent with the provisions of the Act.

16. ***Repeal and Savings.-*** (1) On and from the date of commencement of these rules, the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and conditions of service of Panchayat Sahayaks in Gram Panchayats) Rules, 2005 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

FORM-1

[See rule 8 (1)]

APPOINTMENT LETTER

With reference to the application for the post of Panchayat Sahayak received from Shri/Smt./Kumari ……………………… son/wife/daughter of Shri ……………………………….., resident of village …………., Tehsil …………….., district ……………….. it is informed that the said Shri/Smt./Kumari ……………………… has been selected for the said post. Therefore, he is hereby offered appointment as Panchayat Sahayak -------------------- on the following terms and conditions:-

1. That there shall be paid to him a remuneration of rupees ………….. (in figures) …………………. (in words) per month;
2. That no other allowance, whatsoever admissible to the employees of State Government from time to time shall be paid to him;
3. That the appointment shall be on contract basis for a period of one year from the date of joining;
4. That the appointment shall further be subject to terms and conditions laid down in the rules and agreement ;
5. That the antecedent verification certificate to the satisfaction of the Gram Panchayat from the Executive Magistrate or two Gazetted officers known to him at least for the last three years shall be given by him at the time of submission of joining report;

6. That the appointment shall be subject to the production of Certificate of medical fitness issued by the Chief Medical Officer of the concerned district before joining to the post; and
7. That the attested copies of original certificates in respect of educational qualifications, caste, bonafide resident, physically handicapped, member belonging to below poverty line or past experience, as the case may be, shall be submitted alongwith joining report.

In case, the above terms and conditions are acceptable to him, he may report for execution of the contract agreement as well as for joining duty in the office of undersigned immediately but not later than fifteen days from the date of issue of this appointment letter.

Place : ………………….

Date : …………………

Executive Officer,
Panchayat Samiti_____________
District____________________
Himachal Pradesh.

Shri/Smt./Kr.______________
__________________________

FORM-2
[See rule 8(2)]
AGREEMENT

This agreement is made on this ……….. day of ……………..(Month) …………….(Year) between Shri/Smt./Kumari …………………………………………… son/wife/daughter of Shri ………………………………, resident of village …………., Tehsil ……………., District ………………., Himachal Pradesh, who has been appointed as Panchayat Sahayak ……………. (hereinafter referred to as the first party) and the Panchayat Samiti ………………….. through its Executive Officer (hereinafter referred to as the second party).

WHEREAS the second party has appointed the first party as Panchayat Sahayak on the terms and conditions hereinafter agreed between the parties:- .

1. That the first party shall serve the second party as Panchayat Sahayak for a period of one year on contract basis commencing from this ……….. day of ……………..(Month) …………….(Year) and it is specifically mentioned and agreed by both the parties that the contract of employment of the first party shall ipso facto stand terminated on________and no formal notice/order by the second party conveying the same shall be necessary.

2. That the first party shall submit himself to the orders of the second party and of the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Gram Panchayat and shall obey the instructions or directions issued by the Gram Panchayat in this behalf and shall perform such duties as may be assigned to him.

3. That the first party shall serve the second party efficiently and to the best of his satisfaction and it shall devote his whole time to the duties of the service of the second party and shall not engage himself directly or indirectly in any trade or business or occupation on his own account and also that he shall not (except in case of accident or sickness certified by the Authorized Medical Officer) absent himself from his duties without having first obtained permission from the Pradhan, Gram Panchayat on behalf of the second party. The first party shall not be entitled for remuneration and allowances for the period of absence except the authorised medical leave.

4. The services of the first party shall stand terminated,-
   (i) at the end of contractual period ;
   (ii) without previous notice by the second party, if it is satisfied that the first party is unfit and is likely to continue to be unfit for a considerable period by reason of his ill health for the discharge of his duties. The decision of the second party that the first party is likely to continue to be unfit shall be conclusively binding on the first party;
   (iii) by the second party without any previous notice if the first party is found to be prima facie guilty of any insubordination or intemperance or moral turpitude or other misconduct or if any breach or non performance of any of the provisions of this agreement or rules, as the case may be; and
   (iv) by one month notice in writing given at any time during service under this agreement by the Executive Officer, Panchayati Samiti on behalf of the second party without assigning any reason whatsoever or on payment of one month remuneration in lieu of the notice.

5. That the first party shall serve the second party in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Panchayat Sahayaks) Rules, 2008.

6. That it is specifically agreed by the first party that during the course of service under this agreement he shall not claim any right for regularisation of his service.

IN WITNESS WHEREOF the first party and the sureties have hereunto set their hands and the second party through its Executive Officer for and on behalf of the second party has hereunto set his hand.

Signed by the first party in the presence of:

……………………………….
(*signature of the first party)*

First witness:
Address ……………………………..    ……………………………….
(*signature of the surety)*

Occupation …………………………
Second witness:    ……………………………….
(*signature of the surety)*

Address ……………………………..
Occupation …………………………
Signed by the second party in the presence of:

First witness:

Address ……………………………..
Occupation …………………………

Second witness:

Address ……………………………..
Occupation …………………………

……………………………….
(*signature of the second party)*